छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक–एफ–2–48/सात–2/2014: नया, रायपुर दिनांक 12 सितम्बर, 2014

प्रति,

1. आयुक्त,
   भू– अभिलेख,छत्तीसगढ़ ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त,
   छत्तीसगढ़ ।
3. समस्त कलेक्टर्स,
   छत्तीसगढ़ ।

विषयः **तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड–पांच–कमांक–1 की कंडिका–16 में संशोधन ।**

–0–

राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड–पांच–कमांक–1 की कंडिका–16 के प्रावधानों के अनुसार संभागीय आयुक्त को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों का संभाग के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में तथा जिला कलेक्टर को जिले के भीतर स्थानांतरित करने के अधिकार है ।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त कंडिका–16 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित करता हैः–

<u>कंडिका–16ः–</u>

शासन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली सामान्य स्थानांतरण नीति में किसी बात के होते हुये भी संभागीय आयुक्त लोकहित में किसी भी समय अपने संभाग के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक का स्थानांतरण कर सकेंगे तथा जिला कलेक्टर अपने जिले के भीतर एक तहसील से दूसरे तहसील में किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों का स्थानांतरण कर सकेंगे । तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक को एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा किया जावेगा । किसी समय किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी का स्थानांतरण, उपरोक्त अधिकारियों द्वारा किये जाने के साथ ही राज्य शासन स्तर से भी अंर्तसंभागीय स्थानांतरण आदेश जारी होने की स्थिति में राज्य शासन का आदेश मान्य होगा ।

2. यह परिपत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त किये गये अनुमोदन अनुसार जारी किया जा रहा है ।

3. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड–पांच–कमांक–1 की कंडिका–16 में किये गये उपरोक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकांत उइके)
संयुक्त सचिव 12/9/14
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कमांक–एफ-2–48/सात–2/2014 नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान0मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर ।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी ,छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर ।
3. अवर सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

की ओर सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग